



2026:AHC:16185

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2409 वर्ष 2026

आशीष कुमार उर्फ अंशु

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार, श्री विदेश्वरी प्रसाद

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. श्री विदेश्वरी प्रसाद, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री आर.पी. पटेल, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 516 वर्ष 2025, धारा 103(1) एवं 61(2)ए भारतीय न्याय संहिता, थाना-बिलारी, जनपद-मुरादाबाद में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी लगभग एक दिन के विलंब से दर्ज की गई है तथा उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
5. आगे यह तर्क दिया गया कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पंचनामा रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज होने के दौरान तैयार की गई है। आवेदक को मात्र इस संदेह के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है कि उसका मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 14.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का जोरदार विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
7. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्क तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्राथमिकी में विलंब

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एवं घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य न होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय की राय है कि आवेदक जमानत का अधिकारी है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है।

8. आदेशित किया जाता है कि आवेदक आशीष कुमार उर्फ अंशु, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में निरुद्ध है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा।

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ विचारण न्यायाधीश को साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

22 जनवरी, 2026

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।